

और होम मिनिस्ट्री से भी सलाह की है और मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री का मशविरा हमें जल्दी मिल जाएगा। जहाँ तक इस मामले में स्टेट गर्वमेंटस की कसौट चाहिए, मुझे उम्मीद है कि अगर होम मिनिस्ट्री उनको लिखेगी तो अधिकांश स्टेटस जरूर एग्री कर जाएंगी।

रेलों में ओवर क्राउडिंग और छतों पर चलने का जो सवाल है, उसके लिए हमने गाड़ियों में एक की बजाय दो अनरिजर्वर्ड बोगियां लगाना शुरू किया है ताकि जो यात्री बिना रिजर्वेशन के जाना चाहते हैं उनको जाने में तकलीफ न हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रिजर्वेशन अवैलेबल होने पर भी लोग इंजिन पर और बोगियों की छतों पर चलते हैं और अगर उनको उतारने की नौबत आती है तो काफी अगड़ा-फिसाद होता है। ऐसी खराब परिस्थितियां कुछ राज्यों में हैं जिन पर कि हम काबू नहीं पा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को छतों पर नहीं चलने दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं का नम्बर न बढ़े और लोगों द्वारा अनसेफ ट्रेवल भी न किया जा सके।

जहाँ तक कर्मचारियों और अधिकारियों के एक जोन में बने रहने का प्रश्न है, एक जोन से दूसरे जोन में हर पांच साल के बाद पीरियोडिकल ट्रांसफर किये जाते हैं। यदि किसी अफसर में कोई कमजोरी पाते हैं या उसको खराब पाते हैं तो पांच साल के दरम्यान में भी ट्रांसफर कर देते हैं। यदि माननीय सदस्य को किसी अफसर से शिकायत है जो पांच या दस वर्ष से एक ही ठिकाने पर बने हुए हैं और जिन्होंने अपना स्थान बना कर कोई गुट बना लिया है तो उसको

वे रेलवे मंत्रालय के ध्यान में लाएं हम जरूर कदम उठावेंगे।

15.00 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

COURT OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): Sir, I beg to move:

“That in pursuance of sub-clause (xxiv) of Clause (1) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, six members from among themselves to serve as members of the Court of the Aligarh Muslim University for a term of three years. The members so elected shall not be employees of the Aligarh Muslim University.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of sub-clause (xxiv) of Clause (1) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, six members from among themselves to serve as members of the Court of the Aligarh Muslim University for a term of three years. The members so elected shall not be the employees of the Aligarh Muslim University.”

The motion was adopted.